न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

(1) पंचायत निगरानी संख्या : 115/2024 जीसीएमएस नम्बर : 2024/176

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट, जिला पाली		1. ओमप्रकाश पुत्र सुरेश कुमार जटिया, जटियों का बास रोहट तहसील रोहट जिला पाली 2. सरपंच, ग्राम पंचायत रोहट

(2) पंचायत निगरानी संख्या : 172/2024 जीसीएमएस नम्बर : 2024/286

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
भरत पटेल पुत्र कानाराम जाति पटेल निवासी निम्बली पटेलान तहसील रोहट जिला पाली हाल सरपंच ग्राम पंचायत रोहट जिला पाली		1. ओमप्रकाश पुत्र सुरेश कुमार जाति जटिया निवासी जटियों का बास रोहट तहसील रोहट जिला पाली

(3) पंचायत निगरानी संख्या : 80/2024 जीसीएमएस नम्बर : 2024/140

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
भगवती प्रसाद पुत्र इन्दरचंद जाति सैन, निवासी ऋषभ नगर, नया बस स्टेण्ड, रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		1. ओमप्रकाश पुत्र सुरेश कुमार, जाति जटिया निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत रोहट, जरिये सरपंच, तहसील रोहट, जिला पाली 3. देवाराम पुत्र नथुराम बामणिया, निवासी निम्बली ब्राहम्णान, तहसील रोहट, जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

''पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राजपुरोहित, प्रार्थी भरत पटेल एवं भगवती प्रसाद की ओर से (पंचायत निगरानी संख्या 172/2024, 80/2024)

–: निर्णय :–

दिनांक : 27/03/2025

विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित निगरानी याचिकाऐं अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की विषयवस्तु एवं एक समान प्रकृति की होने से उपरोक्त वर्णित समस्त निगरानी याचिकाओं को समेकित कर निर्णय पारित किया जा रहा है। विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट एवं प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपरोक्त समस्त निगरानी याचिकाऐं

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 107/2016-17, संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.10.2016 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। निगरानी याचिकाओं को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति, रोहट ने निगरानी पेश कर निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे के आवेदन पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है और न ही स्थल नक्शा पर आवेदक के हस्ताक्षर है। सरबर्क फार्म पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। आक्षेप आमंत्रित करने के नोटिस पर चस्पानगी रिपोर्ट के सम्बन्ध में 2 गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है तथा मिसल में आज्ञाओं की सूची अपूर्ण है, साथ ही निर्णय पत्र अपूर्ण है। उक्त पट्टे की भूमि आबादी व राजस्व भूमि की सीमा पर है, जिसमें कही पर भी खसरा संख्या नहीं लिखे हुये है। मौके पर उक्त पट्टे की भूमि खाली है किसी प्रकार का मकान व रहवास नहीं है लेकिन ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है इसलिये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

प्रार्थी भरत पटेल एवं भगवती प्रसाद के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी खाली भूखण्ड के रूप में स्थित है और तत्कालीन ग्राम पंचायत ने राज. पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर राजस्व की हानी की है जबकि नियम के अन्तर्गत पुराने गृहों का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है। नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित किये जाने का दिनांक 05.09.2016 की ऑर्डरशीट में वर्णित है लेकिन ऐसा आक्षेप नोटिस की पुश्त पर चस्पानगी रिपोर्ट अंकित नहीं है। मिसल की सम्पूर्ण ऑर्डरशीट निर्धारित कम्प्यूटर फॉमेर्ट में तैयार की गयी है जिसमें भी नाप व पडौस का विवरण खाली छोड़ा हुआ है। निर्णय पत्र अपूर्ण है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं करते हुये विधिविरूद्ध तरीके सेजैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण वक्त बहस अनुपस्थित होने से एक पक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 107/2016-17, संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.10.2016 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि राजकीय है या ग्राम पंचायत की

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आबादी? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत रियायती दर पर/निःशुल्क भू–खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 142(1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमादेन प्राप्त नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि आवंटी का पट्टा किस खसरा नम्बर की भूमि में या किस स्थान पर जारी किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली के पत्र दिनांक 30.03.2022 की पालना में ग्राम पंचायत रोहट के पट्टो की प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकितानुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा नियम 157(1) के अन्तर्गत खाली जमीन पर जारी किया गया है जबकि उक्त नियम के तहत निर्मित मकानों के पट्टे जारी करने का प्रावधान है, साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार मिसल में अधिकांश पूर्तियां करने का अभाव पाया गया है, इस प्रकार ग्राम पंचायत रोहट द्वारा प्रचांयत राज नियमों के प्रतिकुल पट्टे जारी किये गये जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व की भी हानि हुई है। साथ ही यह भी अंकित किया कि मौके पर वर्तमान में रहवास नहीं है एवं अभी बाउण्ड्री वॉल व टांका का कार्य निर्माणाधीन है। जांच प्रतिवेदन के विवेचन से स्पष्ट है कि पट्टा जारी करते समय मौके पर खाली भूखण्ड था और वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2017(2)DNJ(Raj) 730 Mangilal Meghwal vs state में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा, 157 के तहत पट्टा देने के लिए मौके पर पुराना मकान होना आवश्यक है।" न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ (Raj.) 668 Jabbar Singh Rajput vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. के अनुसार Rule 157 permits regularisation of old houses constructed over the abadi land of Gram panchayat and not the open plots.

इसके अतिरिक्त जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया हैं। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरणों में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया और न ही प्रार्थना पत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक अंकित है, न ही आबादी भूमि के खसरे संख्या का अंकन है। आदेशिका दिनांक 05.08.2016

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के द्वारा प्रश्नगत आराजी का पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। सम्पूर्ण आदेशिका कम्प्यूटर टाईप है, जिसमें केवल आवेदनकर्ता से सम्बन्धित जानकारी हस्तलेखनी से अंकित की गई है, जो प्रथम दृष्टया एक ही दिन में तैयार किया जाना प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा नियम 145(2) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) ''क से ड'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन पर न तो दिनांक अंकित है और न ही सरपंच द्वारा प्रमाणीकरण किया हुआ है। प्रकरणों में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान फार्म पूर्व से छपे छपायें प्रारूप में लिये गये, उसमें भी बयान लिये जाने की दिनांक अंकित नहीं है और प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित जानकारी रिक्त छोड़ी हुई है, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरणों में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसका सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अथवा गवाहों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा उक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। आपत्ति इश्तिहार पर जारी दिनांक 05.09.2016 अंकित है जबकि आदेशिका दिनांक 20.10.2016 में आपत्ति इश्तिहार दिनांक 05.10.2016 को जारी होना बताया है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी मिसल की आज्ञाओं का अवलोकन करने पर पाया कि क्र.सं. 3 पर आदेशिका दिनांक 05.09.2016 अंकित है इसके पश्चात् की आदेशिका क्र.सं. 4 दिनांक 03.11.2016 की है तथा इसके बाद क्र.सं. 5 पर आगामी आदेशिका दिनांक 05.10.2016 अंकित है। जब मिसल की पूर्ववर्ती आदेशिका की दिनांक 03.11.2016 हो तो उसके पश्चातवर्ती आदेशिका की दिनांक 05.10.2016 कैसे हो सकती है? साथ ही मिसल में भी मूलभूत जानकारी का अभाव पाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है इसलिये हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप उपरोक्त समस्त पंचायत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 107/2016–17, संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.10.2016 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.09.2019 को अपास्त किया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जाता है। निर्णय पृथक–पृथक प्रतियों में लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सम्बन्धित निगरानी याचिका में नत्थी किया जावे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली